ऑन लाईन नं.GCMS2023/157

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 61/2023

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एव मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री भूपिन्दर सिंह पुत्र सतवंत सिंह —खाकारोबारकर्ता एवं मालिक—
मैसर्स :— सैनिज, 3/108 हाउसिंग बोर्ड, सुखाडिया मार्ग, नजदीक जनता क्लीनिक, जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय दिनांक : 23.02.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री हंसराज गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट मे भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश क्रमांकः—एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश क्रमांकः— आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.03.2023 को दोपहर पूर्व 11.50 ए.एम. को **मै0 सनिज, 3/108 हाउसिंग बोर्ड, सुखाडिया मार्ग नजदीक जनता क्लीनिक, श्रीगंगानगर** पर पहुंचा। मौके पर खाद्यकारोबारकर्ता व मालिक **भूपिन्दर सिंह पुत्र श्री सतवंत सिंह** को अपना परिचय देकर दुकान में रखी एल्यूमीनियम ट्रे में रखे खाद्य पदार्थ **दही (मिक्स मिल्क)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा दुकान की फ्रिज में रखी एल्यूमीनियम ट्रे में 2 किलोग्राम खाद्य पदार्थ **दही (मिक्स मिल्क)** आमजन को विक्रय वास्ते होना बताया। **दही (मिक्स मिल्क)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते खाद्य पदार्थ **दही (मिक्स मिल्क)** का नमुना लेने वास्ते विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **भूपिन्दर सिंह पुत्र श्री सतवंत सिंह** एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति विक्रेता एवं मालिक **भूपिन्दर सिंह पुत्र श्री सतवंत सिंह** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं.GCMS2023/157

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **दही (मिक्स मिल्क)** विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा 800 ग्राम खाद्य पदार्थ **दही (मिक्स मिल्क)** का नगद भुगतान 64/– रूपये किया तथा कैशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के भी हस्ताक्षर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 800 ग्राम खाद्य पदार्थ **दही (मिक्स मिल्क)** को एकरूप कर बराबर भागो में बांटकर 4 डिब्बो में भरकर लिया। प्रत्येक डिब्बे में फार्मेलिन की 16 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद किये और चारों डिब्बो पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–1704** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एव खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1704** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागो के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते मे लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **भूपिन्दर सिंह पुत्र श्री सतवंत सिंह** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुरत पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक – L.S.I.334/Act/2023/334 Dated 27-03-2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1704 Sub-standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **भूपिन्दर सिंह पुत्र श्री सतवंत सिंह** मैसर्स **सनिज, 3/108 हाउसिंग बोर्ड, सुखाडिया मार्ग नजदीक जनता क्लीनिक, श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर के **दही (मिक्स मिल्क)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 18.07.2023 को प्रस्तुत किया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

ऑन लाईन नं.GCMS2023/157

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब नोटिस पेश कर अंकित किया कि:-

1. यह कि आपके द्वारा नोटिस में दिनांक 16.03.2023 को समयस सुबह 11.50 ए.एम. पर मैसर्स सैनिज, 3/108 हाउसिंग बोर्ड, सुखाडिया मार्ग नजदीक जनता क्लीनिक, श्रीगंगानगर में पहुंचे तो मौके पर मौजूद भूपिन्द्र सिंह ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया और दुकान की फ्रिज में रखी एल्यूमिनियम ट्रे मे दही मिक्स मिल्क दो किलो आमजन को बेचान हेतू बताया जो बाद जांच सब स्टैण्डर्ड फूड पाया गया है इस प्रकार दही मिक्स मिल्क जो अमानक था का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 की धारा 26 उपधारा 2(11)/51 का उल्लंधन मानकर नोटिस दिया गया है।
2. यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 16.03.2023 को जो नमूना लिया गया है सही नही लिया गया, नमूना लेते समय खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दही के उपर की मलाई को साईड में कर नमूना लिया गया है जो कि कतई गलत है जबकि नमूना लेते समय दही को मिक्स करना चाहिये था फिर नमूना लेना चाहिए था इस कारण गलत नमूना लेने के कारण लैब की रिपोर्ट में मिल्क फेट 2.82 प्रतिशत आया है अगर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मलाई सहित नमूना लिया जाता तो मिल्क फेट 4.5 प्रतिशत से अधिक आता, ऐसी स्थिति में प्रार्थी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है तथा जिला अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है ऐसी स्थिति में दिया गया नाटिस निरस्त किये जाने योग्य है।
3. यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लेते समय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व उसके नियमों की पालना नहीं की गई तथा सैम्पल सही तरिके से नहीं लिया गया इसलिए जिला अभिहीत अधिकारी की कार्यवाही स्थिर रखे जाने योग्य नही है।
4. यह कि प्रार्थी छोटा दुकानदार है प्रार्थी की दुकान पर दही 10-15 किलो ही लगता है जो प्रार्थी खुला दूध लेकर दही तैयार किया जाता है प्रार्थी द्वारा नैकनियती से कार्य किया जा रहा है तथा प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई उल्लधंन नहीं किया है।
5. यह कि लैब में दही में मिल्क फैट के कम होने की रिपोर्ट आई है जो कि प्रार्थी को स्वीकार नहीं है वह किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करती है इसलिए प्रार्थी के प्रति नरमी का रूंख अपनाया जाना चाहिये।

अतः जवाब नोटिस प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्यवाही ड्रोप की जावें तो श्रीमान की कृपा होगी।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **दही (मिक्स मिल्क)** का सैम्पल K-1704 जांच रिपोर्ट क्रमांक :-L.S.I/334 Act/2023/334 Dated 27-03-2023 द्वारा **Sub-standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 16.03.2023 को जो नमूना लिया गया है सही नहीं लिया गया, नमूना लेते समय खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दही के ऊपर की मलाई को साईड में कर नमूना लिया गया है जो कि मलाई गलत है जबकि नमूना लेते समय दही को मिक्स करना चाहिये था फिर नमूना लेना चाहिए था इस कारण गलत नमूना लेने के कारण लैब की रिपोर्ट में मिल्क फेट 2.82 प्रतिशत आया है अगर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मलाई सहित नमूना लिया जाता तो मिल्क फेट 4.5 प्रतिशत से अधिक आता, ऐसी स्थिति में प्रार्थी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है तथा जिला अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है। लैब में दही में मिल्क फैट के कम होने की रिपोर्ट आई है जो कि प्रार्थी को स्वीकार नही है वह किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करती है इसलिए प्रार्थी के प्रति नरमी का रूख अपनाया जाना चाहिये।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Dahi (Prepared by Mix Milk) " bearing Code No and Sr. No. K-1704, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-Standard Food as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and standards(Food Products Standards and Food Additive) Regulation, 2011.** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त **भूपिन्दर सिंह पुत्र श्री सतवंत सिंह** को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **भूपिन्दर सिंह पुत्र श्री सतवंत सिंह** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 20,000=00 (अखरे रूपये बीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **भूपिन्दर सिंह पुत्र श्री सतवंत सिंह** खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओ के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(अरविन्द कुमार जाखड)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर